रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।

संख्याः.................................. दिनांकः जुलाई 17, 2015

सेवा में,

स्थायी पताः— **पत्रव्यवहार का पताः—**

विषयः उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली—1974(यथासंशोधित) के अन्तर्गत **उपनिरीक्षक,नागरिक पुलिस** के पद पर चयनित किये जाने के सम्बन्ध में।

....

उ0प्र0 पुलिस सेवाकाल के दौरान मृत पुलिस कर्मी...के आश्रित के रूप में **उपनिरीक्षक,नागरिक पुलिस** के पद पर सेवायोजन हेतु आपका प्रस्ताव..........................से प्राप्त हुआ है। इस हेतु **उपनिरीक्षक,नागरिक पुलिस** के पद पर मृतक आश्रित के रूप में आपके सेवायोजन हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

2. **उपनिरीक्षक,नागरिक पुलिस** के पद पर सेवायोजन के विचार हेतु आपका पद विषयक शारीरिक दक्षता मूल्यांकन **35वीं वाहिनी पी0ए0सी0, लखनऊ में दिनांकः17.08.2015 से 19.08.2015 तक (दिन—सोमवार से बुधवार तक) प्रातः 06.30 बजे से** प्रारम्भ होकर पूर्ण होने तक चलता रहेगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप **दिनांकः17.08.2015 को प्रातः 06.00 बजे 35वीं वाहिनी पी0ए0सी0, लखनऊ** में शारीरिक दक्षता मूल्यांकन हेतु उपस्थित हों।

3. उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली—1974 (यथासंशोधित) के नियम—8(2) के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत पद विषयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम् स्तर को बनाये रखने के समाधान हेतु निर्णय लिया गया है कि आपको मृतक आश्रित के रूप में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पद पर सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में पद विषयक शारीरिक दक्षता मूल्यांकन में सम्मिलित किया जाय। यह अवसर आपका अन्तिम अवसर होगा। यदि आप अनुपस्थित हो जाते हैं तो आपका अभ्यर्थन उक्त पद हेतु निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी शारीरिक दक्षता मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। नियमावली में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में तत्काल सेवायोजित किये जाने के उद्देश्य से आपकी शैक्षिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं को दृष्टिगत रखते हुये अन्य पद पर सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद/इकाई को निर्देशित कर दिया जायेगा।

4. पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता के मूल्यांकन हेतु मृतक आश्रितों की पद विषयक शारीरिक दक्षता मूल्यांकन हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अनुमोदित मानक निम्न प्रकार हैः—

क्र0सं0	*आइटम*		*मानक*
1	*दौड़ एवं चाल*	*पुरूष*	*4.8 कि0मी0 35 मिनट में*
		महिला	*2.4 कि0मी0 20 मिनट में*

5. शारीरिक दक्षता में जो अभ्यर्थी निर्धारित मानक को पूर्ण करेगें, केवल उन्हें ही **उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस** के पद पर चयन हेतु विचार किया जायेगा। **जो आश्रित/आश्रिता इस निर्धारित मानक को पूर्ण नहीं कर पाता/पाती है तो उसको उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस के पद पर चयन से बाहर कर दिया जायेगा। स्पष्ट किया जाता है कि दक्षता मूल्यांकन में एक बार असफल पाये जाने पर किसी भी परिस्थिति में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पद हेतु पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में राज्य सरकार की ओर योजित सिविल अपील संख्या—2366— 2367/2011 उ0प्र0 सरकार बनाम पंकज कुमार विश्नोई व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 25—07—2013 द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि एक बार उप निरीक्षक ना0पु0 के पद विषयक दक्षता मूल्यांकन में असफल होने के फलस्वरूप द्वितीय अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।**

6. उक्त शारीरिक दक्षता मूल्यांकन में सम्मिलित होने हेतु अपने समस्त शैक्षिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि सहित मूलप्रति के साथ केन्द्र पर निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित होना आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। समय से केन्द्र पर न पंहुचने अथवा अनुपस्थित होने पर आपको इस दक्षता मूल्यांकन से वंचित कर दिया जायेगा। केन्द्र पर रुकने एवं खाने की व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी। इसके लिए आपको कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

7. इस पत्र के साथ शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया 10/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर उक्त प्रारूप के अनुसार विवरण टंकित करवाकर एवं नवीनतम फोटोग्राफ यथा स्थान पर चस्पा कर नोटरी से प्रमाणित कराकर अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों की मूलप्रति एवं सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों की एक–एक छायाप्रति सहित परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध करायेगें, अन्यथा आपको दक्षता मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

8. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि **दिनांकः17.08.2015 को प्रातः 06.00 बजे 35वीं वाहिनी पी0ए0सी0, लखनऊ** में बोर्ड के समक्ष शारीरिक दक्षता मूल्यांकन की कार्यवाही हेतु उपस्थित होकर अपने आगमन की सूचना दें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

अपर पुलिस अधीक्षक,स्थापना,
निमित्त पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपिः..................................को उनके......................................के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित है कि वे कृपया उक्त सूचना **दो** दिवस के अन्दर अपने कार्यालय के विशेष वाहक द्वारा सम्बन्धित थाने के माध्यम से आश्रित को अवगत/उपलब्ध करा दें एवं उसकी रसीद प्राप्त कर लें। आश्रित को सूचित किये जाने का उल्लेख थाने के सामान्य दैनिकी में भी कराना सुनिश्चित करें तथा उसकी प्राप्ति की रसीद पुलिस मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः..को इस आशय से प्रेषित है कि वे कृपया उक्त सूचना **दो** दिवस के अन्दर अपने अधीनस्थ स्थानीय सम्बन्धित थाने के माध्यम से उक्त आश्रित को अवगत/उपलब्ध करा दें एवं उसकी रसीद प्राप्त कर लें। आश्रित को सूचित किये जाने का उल्लेख थाने के सामान्य दैनिकी में भी कराना सुनिश्चित करें तथा उसकी प्राप्ति की रसीद पुलिस मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।